

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(236)वित्त-1(1)आ.व्यय/2010/
संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

जयपुर, दिनांक : 31/3/2012

(स्वीकृति संख्या - 673 /2011-12)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 184(2)ले.ब./है.प./अनु.आव./2011-12/6286 दिनांक 01.03.2012 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 1400.00 लाख (अक्षरे रु. चौदह करोड) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे ।

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग सं. 41

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(09)-तदर्थ सहायता

[01] हैण्डपम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)

12-सहायतार्थ अनुदान

(आयोजना भिन्न)


राशि लाखों में

कुल योग 1400.00 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भवदीय



(सुधीर शर्मा)

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-5) विभाग ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग ।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल)विभाग, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।



शासन उप सचिव, वित्त (बजट)